



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/SER-849/JH/40/2023-RO-RNC-RU-IV

दिनांक : 22.12.2025

सेवा में,

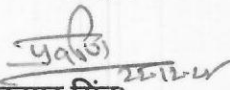
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, राँची,
राँची, झारखंड 834029
Email Id: cmd.ccl.cil@coalindia.in

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती सुनीता खलखो एवं अन्य महिला ठेका कर्मि, सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, राँची-834001 "सी०सी० एल०, प्रबंधन की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति / की महिला ठेका कर्मियों का आर्थिक शोषण एवं भयदोहान के संदर्भ में"।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है

भवदीय


(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती सुनीता खलखो
सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस,
राँची-834001 (झारखंड)

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/SER-849/JH/40/2023-RO-RNC

अभ्यावेदिकागण श्रीमती सुनीता खलखो एवं अन्य महिला ठेका कर्मी, सी.सी.एल. दरभंगा हाउस, रांची, -834001 से प्राप्त शिकायत "सी.सी.एल. प्रबंधन की मिलीभगत से ठेकेदार के द्वारा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की महिला ठेका कर्मियों का आर्थिक शोषण के संदर्भ में" आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में दिनांक 01.12.2025 को आयोग के मुख्यालय में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की दिनांक : 01.12.2025 को दोपहर 03 : 50 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार

अभ्यावेदिका श्रीमती सुनीता खलखो एवं अन्य महिला ठेका कर्मी, सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, राँची ने आयोग में शिकायत की है कि अनुसूचित जनजाति समूह की महिला ठेका कर्मी जो कि विगत कई वर्षों से सी.सी.एल. मुख्यालय दरभंगा हाउस में विभिन्न ठेकेदारों के अंतर्गत ठेके पर सफाई का कार्य करते रहे हैं। विगत 1 वर्ष से मेसर्स ध्रुव ज्योति के ठेकेदार मिथलेश कुमार के द्वारा प्रार्थियागणों को प्रबंधन की मिलीभगत से महिला ठेका कर्मियों को प्रताड़ित, आर्थिक शोषण एवं नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में सी०सी०एल०, प्रबंधन (मुख्य नियोक्ता) को शिकायत किया गया था किन्तु फिर भी उक्त ठेकेदार द्वारा महिला ठेका कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। अभ्यावेदिकागणों ने ठेकेदार मिथलेश कुमार के ऊपर कार्यवाही करने के साथ साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर मांग कि है :

- प्रत्येक महीने की मजदूरी का भुगतान एक निश्चित तिथि में की जाए विगत एक (1) वर्ष से मजदूरी भुगतान 3-4 महीनों में किया जा रहा है।
- ई.पी.फ़. कटौती के विवरण को मोबाईल से लिंक किया जाए। ईपीएफ़ कटौती होता है परन्तु उचित जानकारी नहीं प्रदान किया जाता है।
- ई.पी.फ़. कटौती कि कटौती वेतन से कि जाती है किन्तु ई.पी.फ़. कटौती के संबंधित जानकारी उक्त महिला कर्मियों को नहीं दिया जाता। कटौती राशि कि जानकारी दी जाये।
- आधार लिंक बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं किया जाता, आधार लिंक बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज किया जाए।

अभ्यावेदिकागणों ने अपने अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त सभी मांगे ठेकेदार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट सहमति पत्र में सहमति दी गयी है परन्तु इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि बिना प्रबंधन की मिलीभगत से संभव नहीं है। अभ्यावेदिकागणों ने आयोग से अनुरोध किया है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर जाँच कर एससी/एसटी Atrocity एक्ट के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाही करने की मांग की है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल., दरभंगा हाउस, रांची को नोटिस दिनांक 15.05.2023 प्रेषित किया गया।

आशा लकड़ा

3. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर में, दिनांक 08.09.2023 को महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध), सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची (झारखंड) द्वारा पत्रांक GM(P&IR)/SC-ST Cell/2023/997 प्राप्त हुआ, जिसमें प्रकरण के संबंध में अवगत कराया गया है कि:

i). सीसीएल मुख्यालय के अंतर्गत सफाई ठेकेदार को यह दिशानिर्देश दिया गया है कि उनके अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारियों को हर माह के 7 तारीख तक वेतन का भुगतान प्रतिमाह किया जाये।

ii). ईपीएफ़ कटौती को मोबाइल से लिंक किया गया है एवं सफाई ठेकाकर्मियों को मोबाइल पर सूचना भी प्राप्त हो रही है।

iii). सीसीएल मुख्यालय के अंतर्गत सफाई ठेका कर्मियों कि उपस्थिति भी आधार लिंक बायोमेट्रिक द्वारा दर्ज कराई जा रही है।

4. प्राप्त रिपोर्ट की छायाप्रति अभ्यावेदिका को सूचनार्थ भेजी गई जिसके संबंध में श्रीमती सुनीता खलखो एवं अन्य महिला ठेका कर्मी सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची से रिजोइंडर दिनांक 03.11.2023 को प्राप्त हुआ जिसमे उन्होंने उल्लेख किया कि सीसीएल प्रबंधन ने आयोग को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास किया है।

5. तत्पश्चात आयोग द्वारा मामले में सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची को दिनांक 16.02.2024 को रिमाइंडर जारी किया गया।

6. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा मामले में दिनांक 01.12.2025 को सिटिंग निर्धारित की गई तदनुसार अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल, दरभंगा हाउस, रांची को सिटिंग नोटिस 15.05.2023 को प्रेषित किया गया।

7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची की ओर से जी.एम. (IR), सीसीएल तथा प्रबंधक (HR), सीसीएल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सिटिंग के दौरान अभ्यावेदिका अनुपस्थित रहीं।

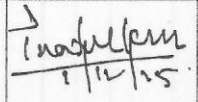
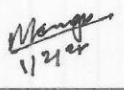
8. सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं:

(i) सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि मेसर्स ध्रुव ज्योति के ठेकेदार वर्तमान में सीसीएल में कार्यरत नहीं हैं। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि श्रीमती सुनीता खलखो एवं अन्य द्वारा मेसर्स ध्रुवज्योति एंटरप्राइजेज के विरुद्ध लगाए गए आरोप आपसी सहमति/समझौते — जिसमें बकाया वेतन भुगतान एवं अन्य मांगें सम्मिलित हैं — के तहत निराकृत हो चुके हैं। परिणामस्वरूप, उक्त आरोप श्रीमती सुनीता खलखो एवं अन्य द्वारा औपचारिक रूप से वापस ले लिए गए हैं।

(ii) चूँकि प्रकरण में आयोग द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, अतः मामला आयोग में बंद किया जाता है।

डा. आशा लकड़ा
10/12/2025
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
डा. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakড়া
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Sitting to be held on 01.12.2025 at 03.50 P.M- अभ्यावेदिका श्रीमती सुनीता खलखो एवं अन्य महिला ठेका कर्मि, सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, रौंजी-834001 "सी०सी० एल०, प्रबंधन की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति की महिला ठेका कर्मियों का आर्थिक शोषण एवं भयदोहान के संदर्भ में" ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I National Commission for Scheduled Tribes			
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II Officers from O/o Chairman and Managing Director, C C L, Ranchi			
1.	PRATUL KUMAR G.M. (IR) CCL.	CCL Ranchi	 1/12/25
2.	Mamish Korgani Manager (HR) CCL	CCL	 1/24/25
3.			
4.			
5.			
6.			
III Petitioners			
1.	<u>Absent</u>	X	
2.			